दिनांक: 15.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान 01 इन्वर्टर, 01 बैटरा, 01 डीवीआर बाक्स एंव 01 एल.ई.डी. टीवी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.06.2024 को वादी श्री सोनू कुमार पुत्र श्री रमेशचन्द्र निवासी ग्राम काजीपुरा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा वादी की दुकान सोनू आटो सर्विस स्टोर का शटर तोड़कर दुकान में रखे 01 इन्वर्टर व बैटरा ,01 एलईडी टीवी व 01 मोटर साईकिल का इंजन व कैमरो का डीवीआर बाक्स चोरी कर लेना व दुकान में लगा कैमरा तोड़ देने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 164/24 धारा 457/380/427 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दुकान का शटर तोड़ कर चोरी करने वाले 02 शातिर चोर **1.आबिद पुत्र इलियास नि0 ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जिला सहारनपुर, 2.शमशाद उर्फ भूरा पुत्र आसिफ नि0 मजरा याकूबपुर ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जिला सहारनपुर को** बस स्टैण्ड खेड़ा अफगान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमें उपरोक्त में चोरी हुआ 01 इन्वर्टर C Power, 01 बैटरा Microzone Tubular, 01 डीवीआर बाक्स CP PLUS, 01 एल.ई.डी. टीवी AKAI कम्पनी बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो पढे लिखे नही है व मजदूरी का कार्य करते हैं। हम दोनो नशा करने के भी आदि हैं। अक्सर हमें पैसों की तंगी रहती है। दिनांक 2/3.06.2024 की रात्री को सोनू आटो सर्विस की दुकान से हम दोनों ने मिलकर 01 इन्वर्टर, 01 बैटरा, 01 डीवीआर बाक्स, 01 एल.ई.डी. टीवी और01 मोटरसाइकिल का इन्जन चोरी किया था। मोटरसाइकिल का इन्जन तो हमने एक राह चलते कबाड़ी को बेच दिया था जिसका नाम पता हमें मालूम नहीं है। आज हम चोरी का सामान डीवीआर , एक इन्वर्टर बैटरा व एल.ई.डी. टीवी को आज हम लोग बेचने के लिये जा रहे थे तभी पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. आबिद पुत्र इलियास नि0 ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. शमशाद उर्फ भूरा पुत्र आसिफ नि0 मजरा याकूबपुर ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 इन्वर्टर C Power

- 01 बैटरा Microzone Tubular
- 01 डीवीआर बाक्स CP PLUS
- 01 एल.ई.डी. टीवी AKAI कम्पनी

<u>अभियुक्त आबिद उपरोक्त का अपराधिक इतिहास</u>

1.मु0अ0सं0 21/2021 धारा 63 आबकारी अधि0 चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर

<u>अभियुक्त शमशाद उर्फ भूरा उपरोक्त का अपराधिक इतिहास</u>

1.मु0अ0सं0 385/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 348 कुलदीप थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. का0 2501 प्रताप सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. का0 2122 लोकेश तोमर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 15.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना ,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01शातिर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियत्रण एवं वारण्टी/ वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 15.06.2024 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वांरटी अभियुक्त **वसीम पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना सहारनपुर संबंधित** वाद संख्या- **138/2019 मु0अ0सं0-79/2017 धारा- 18/20 एनडीपीएस एक्ट** थाना चिलकाना सहारनपुर को ग्राम पटनी सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

- वसीम पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना, सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0-79/2017 धारा-18/20 थाना चिलकाना,सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0-92/19 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना,सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0-429/20 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना, सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0-444/17 धारा-8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 विनोद कुमार थाना चिलकाना, सहारनपुर।
2. का0 1870 पुनित यादव थाना चिलकाना, सहारनपुर।